

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 28 अप्रैल, 2023

निर्णय की तिथि: 15 मई, 2023

सि.अ.(वाणि.बौ.सं.अनु.-पेटेंट) 29/2022

माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग, एलएलसी

.....अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री विंध्य एस. मणि, श्री
गुरसिमरन सिंह नरूला एवं सुश्री
वैशाली जोशी, अधिवक्तागण

बनाम

सहायक नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, स्थायी
अधिवक्ता केेन्द्र सरकार के साथ
श्री सृश कुमार मिश्रा, श्री सागर
महलावत और श्री अलेक्जेंडर मथाई
पैकाडे, अधिवक्तागण के साथ श्री
संतोष कुमार गुप्ता और सुश्री
श्रद्धा तुर्कर, भारतीय पेटेंट के
कार्यालय में नियंत्रक।
श्री राजीव चौधरी, न्यायमित्र
अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

निर्णय

न्या., संजीव नरूला:

विवाद

1. यह अपील पेटेंट अधिनियम, 1970 ["अधिनियम"] की अपवर्जक धारा 3(ट) में "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" वाक्यांश की व्याख्या संबंधी विवाद पर केंद्रित है।

तथ्य

2. माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग, एलएलसी ["माइक्रोसॉफ्ट"] ने "किसी नेटवर्क लोकेशन के सब-लोकेशनों हेतु यूजर के प्रमाणीकरण के तरीके और प्रणालियाँ" [पर्याय रूप में "दावा किया गया आविष्कार" या "विषयगत पेटेंट"] से संबंधित एक आविष्कार के पंजीकरण हेतु दिनांक 07 नवंबर, 2003 को एक भारतीय पेटेंट आवेदन सं. 1373/डीईएल/2003 दायर किया। पेटेंट कार्यालय ने दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को प्रथम परीक्षा रिपोर्ट ["एफईआर"] जारी की, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित आपत्तियां उठाई गईं: (क) कुछ उद्धृत पूर्व कलाओं को देखते हुए नवीनता का अभाव, (ख) उद्धृत पूर्व कलाओं को ध्यान में हुए आविष्कारी कदमों की कमी, और (ग) अधिनियम की धारा 3(ट) के तहत गैर-पेटेंट (स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम)। इसके बाद दिनांक 20 फरवरी, 2019 को

सुनवाई नोटिस जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित पर मूल आपत्तियां उठाई गईं: (क) अन्य उद्धृत पूर्व कलाओं को ध्यान में रखते हुए नवीनता और आविष्कारशील कदम की कमी, (ख) अधिनियम की धारा 3(ट) के तहत गैर-पेटेंट (एल्गोरिदम और स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम), और (ग) अधिनियम की धारा 10(4)(ग) के तहत दावा किए गए आविष्कार के दायरे में स्पष्टता और संक्षिप्तता की कमी।

3. सुनवाई के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ने लिखित दलीलें प्रस्तुत कीं, लेकिन नियंत्रक आश्वस्त रहा और दिनांक 11 अप्रैल, 2019 को आदेश जारी किया ["आक्षेपित आदेश"] अधिनियम की धारा 15 के तहत माइक्रोसॉफ्ट के आवेदन को खारिज कर दिया, दावा किया गया आविष्कार धारा 3(ट) के तहत गैर-पेटेंट पाया गया तथा अधिनियम के साथ-साथ अधिनियम के तहत अन्य अधूरी आवश्यकताएं भी हैं।

पक्षकारों की दलीलें

4. माइक्रोसॉफ्ट की अधिवक्ता सुश्री विंध्य एस. मणि का तर्क है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसने अधिनियम की धारा 3(ट) की गलत व्याख्या की है और इसके अलावा, यह मिथ्या परिणाम पर पहुंचने हेतु पर्याप्त तर्क प्रदान नहीं करता है। उनकी प्रस्तुतियों का सारांश नीचे दिया गया है:

4.1. आक्षेपित आदेश अस्पष्ट और अनुचित है और इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

4.2. अधिनियम की धारा 3(ट) के आक्षेपित आदेश में गलत व्याख्या की गई है क्योंकि यह निष्कर्ष निकालता है कि दावे 1-28 कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा लागू किए गए एल्गोरिदम से संबंधित हैं। "स्वतः" शब्दों को जोड़ने के लिए विधायिका के इरादे का मतलब यह नहीं है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पेटेंट पूरी तरह से प्रदान किया ही नहीं जाएगा, बल्कि इरादा इस प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामों को पेटेंट संरक्षण के अनुदान को स्वीकार नहीं करने का था।

4.3. विषयगत पेटेंट में तकनीकी योगदान/प्रभाव मौजूदा कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क की बेहतर सुरक्षा में निहित है और इसलिए, इसे पेटेंट दिया जाना चाहिए। पेटेंट कार्यालय ने इस न्यायालय के *फेरिद अल्लानी बनाम भारत संघ व अन्य* और *टेलीफोनाक्टिबोलागोट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल) बनाम इंटेक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड* के मामले के निर्णयों की अवहेलना की है।

4.4. पेटेंट कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत दावे, समग्र रूप से, एक तकनीकी प्रक्रिया से संबंधित हैं, एक तकनीकी समस्या का समाधान करते हैं, और एक नेटवर्क पर एक्सेस किए गए डेटा की सुरक्षा से संबंधित एक तकनीकी समाधान/प्रगति प्रदान करते हैं। दावा किए गए आविष्कार का योगदान केवल बहिष्कृत विषयगत वस्तु में नहीं है, बल्कि हार्डवेयर घटकों के साथ सॉफ्टवेयर के संयोजन में है।

4.5. एटी एंड टी नॉलेज वेंचर्स, एलपी की पेटेंट एप्लिकेशन, एचटीसी यूरोप कंपनी लिमिटेड बनाम एप्पल आईएनसी में यूके कोर्ट ऑफ अपीलस, और एरोटेल लिमिटेड बनाम टेलको होल्डिंग्स लिमिटेड में चांसरी डिवीजन (पेटेंट कोर्ट) के निर्णय का अवलंब लिया गया है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से सीजीएससी श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर याचिका का विरोध करते हैं और कहते हैं कि प्रत्यर्थी ने एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है और विषयगत पेटेंट को उपयुक्त रूप से खारिज कर दिया है। उनकी प्रस्तुतियों का समर्थन नियंत्रक, श्री संतोष कुमार गुप्ता ने किया, जो 24 अप्रैल, 2023 के आदेश के अनुसरण में पेश हुए थे। श्री वैद्यनाथन शंकर की प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:-

5.1. पेटेंट अधिकार प्रादेशिक प्रकृति के होते हैं, उनके अनुदान या अस्वीकृति का परीक्षण भारतीय विधि की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में कंप्यूटर प्रोग्राम की पेटेंट योग्यता अलग है। माइक्रोसॉफ्ट अधिनियम की धारा 3(ट) को लागू करने के पीछे के विधायी उद्देश्य को समझने में विफल रहा है। यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम से वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक घोषणाओं का अनुचित अवलंब लिया गया है।

5.2. आक्षेपित आदेश तर्कपूर्ण है, और प्रत्यर्थी ने विषयगत पेटेंट को उचित रूप से खारिज किया है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 3(ट) के अंतर्गत आता है। दावा किया गया आविष्कार केवल एक "एल्गोरिद्म" है, जो परिभाषा के

अनुसार, नियमों का एक समूह है जिसका किसी समस्या को हल करने हेतु पालन किया जाना चाहिए। निर्देशों के सेट को एक स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम पर लागू किया जा रहा है, और इसलिए, विषयगत आविष्कार गैर-पेटेंट योग्य है।

5.3. विषयगत पेटेंट यूजर-इंटरफेस स्तर पर काम करता है और यूजर अनुभव/दक्षता को बढ़ाता है और हार्डवेयर/कंप्यूटर प्रणाली में इसका कोई तकनीकी प्रभाव या योगदान नहीं है।

विषयगत पेटेंट

6. पेटेंट पात्रता का मूल्यांकन आदेश और "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" शब्द की स्पष्ट समझ के लिए, पहले विषयगत पेटेंट, इसकी तकनीकी विशेषताओं और तकनीकी एप्लिकेशन पर चर्चा करना उचित होगा।

7. माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि विषयगत पेटेंट नेटवर्क पते में एक या अधिक सब-लोकेशन में प्रवेश करते समय यूजर द्वारा सुरक्षित प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु एक तकनीकी समाधान प्रदान करता है। इसमें दो अलग-अलग कुकीज के माध्यम से दो-स्तरीय प्रमाणीकरण शामिल है। उनका तर्क है कि पारंपरिक रूप से, कंप्यूटर सर्वर यूजर्स को एक नेटवर्क लोकेशन पर संग्रहीत जानकारी, उसके विभिन्न सब-लोकेशन के भीतर, जैसे कि एक या अधिक सर्वर की व्यक्तिगत निर्देशिका या सर्वर फ़ार्म के व्यक्तिगत सर्वर तक तक पहुँचने की अनुमति देता है। नेटवर्क लोकेशन और उनके विभिन्न सब-लोकेशन तक

अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, नेटवर्क लोकेशन तक पहुंचने के लिए यूजर प्रमाणीकरण निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

(i.) एक यूजर को नेटवर्क लोकेशन और संबंधित सब-लोकेशन तक पहुँचने से पहले एक यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, जैसे-जैसे नेटवर्क लोकेशन/सब-लोकेशन की संख्या बढ़ती है, जिसे यूजर प्राप्त करना चाहता है, उसे हर बार उपयोग करने हेतु एक यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करने की आवश्यकता होती है और यह जटिल हो जाता है।

(ii.) विषयगत पेटेंट एक कुकी उत्पन्न करके संचालित होता है और पहली कुकी के आधार पर नेटवर्क लोकेशन हेतु प्रमाणीकरण के बाद, सब-लोकेशन कुकीज प्रमाणित यूजर के लिए एक या अधिक सब-लोकेशन के लिए उत्पन्न की जाती हैं।

(iii.) प्रमाणीकरण नेटवर्क लोकेशन पर कुकीज के माध्यम से किया जाता है और किसी भी/सभी सब-लोकेशन, जहां पहुंच वांछित है, नेटवर्क लोकेशन के भीतर किया जाता है। ऐसे मामले में, जब कोई यूजर किसी नेटवर्क लोकेशन पर जाने का प्रयास करता है, तो उसे विश्वसनीय नेटवर्क लोकेशन पर निर्देशित किया जाता है जो एक एन्क्रिप्टेड कुकी जारी करता है जिसका उपयोग यूजर द्वारा नेटवर्क लोकेशन के सर्वर पर वापस भेजे जाने पर किया जाता है। यूजर के कंप्यूटर से कुकी का अनुरोध करने के बाद, सर्वर इसे डिक्रिप्शन द्वारा मान्य करता है, जब तक कि यह समाप्त नहीं हो जाता है। यदि सत्यापन

सफल होता है, तो यूजर को प्रमाणित किया जाता है और पहुँच प्रदान की जाती है।

तकनीकी समस्या

8. एक सुरक्षा जोखिम वहाँ मौजूद था जहाँ कुकीज़ का उपयोग यूजर को विज़िट करने के लिए नेटवर्क लोकेशन और सब-लोकेशन को प्रमाणित करने हेतु किया जाता है। एक दुर्भावनापूर्ण यूजर ऐसी कुकीज़ को चुराने का प्रयास कर सकता है जो अन्य यूजर कंप्यूटर(ओं) से अपलोड की जाती हैं जब वे नेटवर्क लोकेशन पर जाते हैं और फिर नेटवर्क लोकेशन के भीतर सब-लोकेशन्स तक पहुँच प्राप्त करने के लिए ऐसे यूजर्स का प्रतिरूपण कर सकते हैं। ऐसे कुछ मामलों में, दुर्भावनापूर्ण यूजर, यूजर्स के प्रतिरूपण के बारे में व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में भी समर्थ हो सकता है।

तकनीकी समाधान, प्रभाव एवं योगदान

9. उपरोक्त उल्लिखित तकनीकी समस्या का समाधान करने के लिए, विषयगत पेटेंट नेटवर्क लोकेशन और इसके विभिन्न सब-लोकेशन्स तक पहुँचने के साथ जुड़े सुरक्षा जोखिम को हल करने/कम करने और सामग्री के साथ यूजर्स के लिए सरल बातचीत प्रदान करने का प्रयास करता है।

10. जब कोई यूजर किसी नेटवर्क लोकेशन और/या उसके सब-लोकेशन पर लॉग इन करता है, तो केवल नेटवर्क लोकेशन के लिए कुकी और विशेष सब-

लोकेशन (लोकेशनस) के लिए कुकी पर विज़िट किए जा रहे सब-लोकेशन (लोकेशनस) के भीतर प्रदर्शित किया जाता है। भले ही ये दोनों कुकीज़ किसी दुर्भावनापूर्ण यूजर द्वारा चोरी कर ली गई हों, वह निर्बाध पहुँच एक्सेस नहीं कर सकता है। विषयगत पेटेंट खातों में परिकल्पित दो-स्तरीय प्रमाणीकरण एक ऐसे परिदृश्य के लिए है जहां यदि कोई दुर्भावनापूर्ण यूजर दोनों कुकीज़ को चुरा लेता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, जो यूजर को नेटवर्क लोकेशन के लिए प्रमाणित करता है, तो वह नेटवर्क लोकेशन के भीतर विशिष्ट सब-लोकेशन तक पहुंच प्राप्त कर सकता है जिससे दूसरी कुकी संबंधित है। इसलिए, दुर्भावनापूर्ण यूजर को केवल उस विशिष्ट सब-लोकेशन के लिए प्रमाणित किया जा सकता है जिससे दूसरी कुकी संबंधित है लेकिन नेटवर्क लोकेशन के भीतर किसी अन्य सब-लोकेशन (लोकेशनस) हेतु आगे प्रमाणित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली कुकी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह संकेत नहीं देती है कि यूजर को अभी-अभी प्रमाणित किया गया है। इसलिए, वर्तमान पेटेंट आवेदन एक नेटवर्क पते में एक या अधिक सब-लोकेशन (लोकेशनस) तक पहुँचते समय एक यूजर के सुरक्षित प्रमाणीकरण के लिए एक तकनीक प्रदान करता है और अवैध रूप से किसी अन्य यूजर से कुकीज़ प्राप्त करके नेटवर्क सब-लोकेशन (लोकेशनस) तक पहुँच प्राप्त करने के दुर्भावनापूर्ण यूजर के प्रयासों को प्रभावी ढंग से विफल करता है।

इनकार करने के आधार

11. नियंत्रक ने निष्कर्ष निकाला कि आविष्कार केवल कंप्यूटर निष्पादन योग्य निर्देशों या एल्गोरिदम का एक समूह है, जो एक "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" का गठन करता है। उनका मानना है कि दावें 1-28 में संबोधित विषयगत वस्तु "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" से संबंधित है और अधिनियम की धारा 3(ट) के दायरे में आती है। नियंत्रक के अनुसार, कुकीज़ और मेमोरी का उपयोग करने की विधि, नेटवर्क पते के लोकेशनस की पहचान करने के लिए, जैसा कि विवरण और दावों में उल्लिखित है, इंगित करता है कि "आविष्कारशील कदम" एक गैर-पेटेंट विषयगत वस्तु (अधिनियम की धारा 3(ट) के अनुसार) में निहित है। नियंत्रक द्वारा दिए गए कारण निम्नलिखित हैं।

“4. दिनांक 28/03/2019 कार्यालय पत्र की आपत्ति हेतु आवेदक द्वारा दिए गए तर्क निम्नलिखित कारणों से विश्वसनीय नहीं हैं:

यह आविष्कार कुकीज़ के आधार पर दो स्तरीय प्रमाणीकरण करने की एक विधि/प्रणाली है। कुकीज़ वेबसाइट द्वारा बनाई गई फ़ाइलें हैं और लोकल रूप से मेमोरी में संग्रहीत होती हैं जो निर्देशों के एक सेट के अलावा और कुछ नहीं है। कथित आविष्कार प्रमाणीकरण के लिए एक तकनीक प्रदान करता है जिसमें नेटवर्क स्थान में सब-लोकेशन तक पहुंचने वाले क्लाइंट कंप्यूटर तक प्रमाणित पहुंच के लिए दो अलग-अलग कुकीज़ का उपयोग शामिल होता है जो सामान्य कंप्यूटिंग डिवाइस द्वारा निष्पादित एल्गोरिदम के रूप में निर्देश का एक सेट होता है। दावे 1-28 का विषय पूर्व परिभाषित अनुक्रमिक तरीके से उक्त निर्देशों को निष्पादित करने के लिए एल्गोरिदम के एक सेट का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पारंपरिक कंप्यूटिंग उपकरणों और सॉफ्टवेयर परिस्थिति पर लागू किया गया है। तत्काल कथित आविष्कार के दावों में, चरणों को संसाधित करने और एल्गोरिदम को

निष्पादित करने हेतु प्रणाली/विधि दावों के रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम का दावा किया जाता है।

यह स्पष्ट है कि दावे 1-28 इच्छित कार्यात्मक विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटिंग उपकरण पर कंप्यूटर निष्पादन योग्य निर्देशों/एल्गोरिदम का कार्यान्वयन हैं। उक्त कंप्यूटर निष्पादन योग्य निर्देश/एल्गोरिदम को "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" के रूप में लागू किया गया है। इसलिए, दावों की विषयगत वस्तु 1-28 स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" से संबंधित है तथा पेटेंट अधिनियम, 1970 (संशोधित रूप में) की धारा 3(ट) के दायरे में आती है। नेटवर्क पते का लोकेशन खोजने के लिए, विवरण और दावों में दिए गए कुकीज़ और मेमोरी का उपयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आविष्कारशील कदम पेटेंट अधिनियम, 1970 (संशोधित के रूप में) की धारा 3(ट) के तहत गैर-पेटेंट विषयगत वस्तु में निहित है।

5. मौखिक दलील और आवेदक के एजेंट की लिखित प्रस्तुति पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। हालांकि, बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, हालांकि सुनवाई प्रस्तुतियों ने अन्य आवश्यकताओं को संबोधित करने का प्रयास किया है, फिर भी पेटेंट अधिनियम, 1970 अर्थात् धारा 3(ट) की मूल आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है। इसलिए, उपरोक्त और अधूरी आवश्यकताओं को देखते हुए, यह तत्काल आवेदन अनुदान के लिए आदेश में नहीं पाया जाता है।
6. इसलिए, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सुनवाई के दौरान और बाद में लिखित प्रस्तुति द्वारा एजेंटों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ प्रमुख आधिकारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन सं. 1373/डीईएल/2003 दिनांक 07/11/2003 पेटेंट अधिनियम, 1970 (संशोधित रूप में) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है। इसलिए, मैं एतद्वारा आदेश देता हूँ कि आवेदन सं. 1373/डीईएल/2003 के लिए पेटेंट के अनुदान को पेटेंट अधिनियम, 1970 (संशोधित रूप में) की धारा 15 के प्रावधानों के तहत अस्वीकार किया जाता है।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त अवलोकन और उनके निर्णय पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों पर आधारित हैं।”

[जोर दिया गया]

अधिनियम की धारा 3(ट) - प्रावधान

12. अस्वीकृति का आधार विशेष रूप से अधिनियम की धारा 3(ट) है, जिससे आगे बढ़ने से पहले इस प्रावधान की जांच करना आवश्यक हो जाता है। उक्त प्रावधान नीचे उद्धृत किया गया है:

“3. आविष्कार क्या नहीं हैं – इस अधिनियम के अर्थ में निम्नलिखित अधिकार नहीं है, -

XX .. XX .. XX

(ट) एक गणितीय या व्यावसायिक विधि या एक स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम;”

विश्लेषण

13. धारा 3(ट) में शामिल "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" वाक्यांश पर न्यायालय द्वारा *फिरिद अल्लानी* (पूर्वोक्त) में संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई है। फिर भी, उक्त प्रावधान के पीछे के वैधानिक उद्देश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाना फायदेमंद होगा। यह अन्वेषण विधि को सटीक रूप से लागू करने में सहायता कर सकता है और इसी तरह के मुद्दों से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इस बिंदु पर, यह न्यायालय अधिनियम की धारा 3(ट) की उत्पत्ति

को समझाने वाले दोनों अधिवक्तागण के साथ-साथ अधिवक्ता श्री राजीव चौधरी के योगदान को भी स्वीकार करता है, जिन्होंने अन्य क्षेत्राधिकारों में अपनाई जाने वाली परीक्षा प्रक्रिया के बारे में मूल्यवान जानकारी साझा की।

पेटेंट अधिनियम की धारा 3(ट) का विकास: "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" के सम्मिलन और भारत में पेटेंट विधि पर इसके प्रभाव को उजागर करना

14. अधिनियम की धारा 3 उन आविष्कारों से संबंधित है जो पेटेंट संरक्षण के लिए अयोग्य हैं। विशेष रूप से, पूर्व विधिक, भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 में इसी तरह का प्रावधान शामिल नहीं था। वर्ष 1948 में भारत सरकार ने लाहौर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और संविधान सभा के सदस्य न्यायमूर्ति बखशी टेक चंद के नेतृत्व में छह (06) अन्य सदस्यों के साथ भारत में पेटेंट कानूनों के पुनर्विलोकन हेतु एक समिति का गठन किया। उक्त समिति ने अप्रैल 1950 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिसके आधार पर पेटेंट विधेयक, 1953, संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय पेटेंट विधायी इतिहास में पहली बार इस विधेयक में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा गया जिसमें आविष्कारों की कुछ श्रेणियों के पेटेंट हेतु निषेध प्रदान किया गया था (अर्थात् धारा 3), जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- “3. जो पेटेंट योग्य नहीं है – इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित पेटेंट योग्य नहीं होंगे, -
- (क) एक आविष्कार जिसका उपयोग विधि या नैतिकता के विपरीत होगा;
 - (ख) किसी ज्ञात सामग्री के नए गुणों की खोज मात्र ;

(ग) ज्ञात उपकरणों का केवल प्रतिरूप या ज्ञात उपकरणों का संयोजन जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं;

(घ) आविष्कार के पूर्ण विनिर्देशन में विशेष रूप से वर्णित किसी विधि या निर्माण प्रक्रिया द्वारा तैयार या उत्पादित पदार्थ के अलावा किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार या उत्पादित या भोजन या दवा के लिए अभिप्रेत पदार्थ।

स्पष्टीकरण - खाद्य या औषधि के लिए अभिप्रेत पदार्थ के संबंध में, केवल उस पदार्थ के अवयवों के ज्ञात गुणों के एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप एक मात्र मिश्रण को निर्माण की एक विधि या प्रक्रिया नहीं माना जाएगा।”

15. अप्रैल 1957 में, भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एन. राजागोपाला अय्यंगार को भारत में पेटेंट विधि के पुनर्विलोकन करने हेतु नियुक्त किया। सितंबर 1959 में, न्यायमूर्ति अय्यंगार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका शीर्षक था - *“रिपोर्ट ऑन द रिविज़न ऑफ द पेटेंट लॉ”* [“अय्यंगार रिपोर्ट”]। इस रिपोर्ट ने भारतीय पेटेंट विधि के विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान किया, जिसमें यह निर्धारित करने पर विशेष जोर दिया गया कि “कौन से आविष्कार गैर-पेटेंट योग्य होने चाहिए” अय्यंगार रिपोर्ट ने पेटेंट विधेयक, 1953 की धारा 3 में स्पष्ट रूप से संशोधन की मांग की और गैर-पेटेंट योग्य आविष्कारों को व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया (क) ऐसे आविष्कार जो गैर-पेटेंट योग्य हैं और जिन्हें कभी भी पेटेंट योग्य नहीं माना गया है; और (ख) इन से संबंधित आविष्कार रसायन, भोजन और दवाएं। अय्यंगार रिपोर्ट में धारा 3 का पुनः प्रारूपण प्रस्तावित किया गया है, जिसे निम्नानुसार बताया गया है:

“3. जो पेटेंट योग्य नहीं है- निम्नलिखित इस अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य नहीं होंगे और हमेशा पेटेंट योग्य नहीं माने जाएंगे-

- (I) (क) एक ऐसा आविष्कार जो तुच्छ है या जो सुव्यवस्थित रूप से स्थापित प्राकृतिक नियमों के विपरीत है।
- (ख) एक आविष्कार जिसका उपयोग विधि या नैतिकता के विपरीत या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा।
- (ग) केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज या एक संक्षिप्त सार सिद्धांत का निर्माण।
- (घ) कृषि या बागवानी की विधि।
- (ङ) मनुष्य के औषधीय, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक, रोगनिरोधी और अन्य उपचार हेतु प्रक्रिया और जानवरों या पौधों को रोग से मुक्त करने या उनके आर्थिक मूल्य या उनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए उनके समान उपचार के लिए प्रक्रिया।
- (च) केवल एक मिश्रण द्वारा प्राप्त पदार्थ पर दावा जिसके परिणामस्वरूप केवल उसके घटकों के गुणों का एकत्रीकरण या ऐसे पदार्थ के उत्पादन की प्रक्रिया होती है।
- (छ) किसी ज्ञात सामग्री के लिए किसी नए गुण या नए उपयोग की खोज, या किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण के केवल नए उपयोग की खोज।
- (ज) ज्ञात उपकरणों की एक मात्र व्यवस्था या पुनर्व्यवस्था या प्रतिरूप, जिनमें से प्रत्येक पुराने या प्रसिद्ध तरीके से काम करते हैं।
- (2) इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद उन आविष्कारों के संबंध में कोई पेटेंट नहीं दिया जाएगा जो दावा करते हैं - (क) खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में या दवा के रूप में (पुरुषों या जानवरों के लिए) उपयोग किए जाने में सक्षम पदार्थ जिनमें सीरा, टीके, एंटीबायोटिक्स और जैविक सामग्री, कीटनाशक, रोगाणुनाशक या कवकनाशक, और (ख) मिश्र धातु सहित रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित पदार्थ, लेकिन कांच को छोड़कर।

- (3) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा में उल्लिखित पदार्थों के निर्माण या उत्पादन के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का आविष्कार पेटेंट योग्य होगा।”

16. पेटेंट विधेयक, 1965, को अय्यंगार रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके तहत धारा 3 को अध्याय 2 के तहत जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक था -“आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं हैं”, जो निम्नवत है:

“3. निम्नलिखित इस अधिनियम के अर्थ के भीतर आविष्कार नहीं हैं -

- (क) एक आविष्कार जो तुच्छ है या जो सुव्यवस्थित तरह से स्थापित प्राकृतिक नियमों के विपरीत कोई भी दावा करता है;
- (ख) एक आविष्कार जिसका प्राथमिक या उद्देश्यात्मक उपयोग विधि या नैतिकता के विपरीत या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा;
- (ग) केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज या एक संक्षिप्त सार सिद्धांत का निर्माण;
- (घ) किसी ज्ञात सामग्री के लिए किसी नए गुण या नए उपयोग की खोज मात्र या किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण के नए उपयोग की खोज मात्र;
- (ङ) केवल एक मिश्रण द्वारा प्राप्त पदार्थ का दावा जिसके परिणामस्वरूप केवल उसके घटकों के गुणों का एकत्रीकरण होता है या ऐसे पदार्थ के उत्पादन की प्रक्रिया होती है;
- (च) ज्ञात तरीकों से एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करने वाले ज्ञात उपकरणों की मात्र व्यवस्था या पुनः व्यवस्था या प्रतिरूपण; (छ) मशीन, उपकरण या अन्य उपकरण को अधिक कुशल बनाने के लिए या मौजूदा मशीन, उपकरण या अन्य उपकरण के सुधार या बहाली के लिए या निर्माण के सुधार या नियंत्रण के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान लागू परीक्षण की एक विधि या प्रक्रिया;
- (ज) कृषि या बागवानी की एक विधि;

(झ) मनुष्य के औषधीय, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक, रोगनिरोधी और अन्य उपचार हेतु प्रक्रिया और जानवरों या पौधों को रोग से मुक्त करने या उनके आर्थिक मूल्य या उनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए उनके समान उपचार के लिए प्रक्रिया।”

17. पेटेंट विधेयक, 1965 संसद में पारित नहीं हो सका और अंततः रद्द हो गया। हालांकि, सरकार ने पेटेंट विधेयक, 1967 पेश किया जिसके तहत धारा 3 के प्रावधानों को पेटेंट विधेयक, 1965 से पूर्ण रूप से पुनः उद्धृत किया गया था। इस विधेयक को पेटेंट अधिनियम, 1970, के रूप में अधिनियमित किया गया था, जिसने आविष्कारों की नौ (09) श्रेणियों को गैर-पेटेंट योग्य के रूप में वर्गीकृत किया था। धारा 3 सहित, पेटेंट अधिनियम, 1970 के कतिपय प्रावधान 20 अप्रैल, 1972 को लागू हुए और शेष प्रावधान (अर्थात् धाराएं 12(2), 13(2), 28, 68, 125 से 132) 1 अप्रैल, 1978 को लागू हुईं। पेटेंट अधिनियम, 1970 (20 अप्रैल, 1972 से) की धारा 3 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“3. निम्नलिखित इस अधिनियम के अर्थ के भीतर आविष्कार नहीं हैं-

- (क) एक आविष्कार जो तुच्छ है या जो सुव्यवस्थित तरह से स्थापित प्राकृतिक नियमों के विपरीत कोई भी दावा करता है;
- (ख) एक आविष्कार जिसका प्राथमिक या उद्देश्यात्मक उपयोग विधि या नैतिकता के विपरीत या लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा;
- (ग) केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज या एक संक्षिप्त सार सिद्धांत का निर्माण;
- (घ) किसी ज्ञात सामग्री के लिए किसी नए गुण या नए उपयोग की खोज मात्र या केवल एक ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण का उपयोग जब तक कि ऐसी ज्ञात प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोई नया उत्पाद न हो या कम से कम एक नया अभिकारक न हो।

- (ड) एक पदार्थ जो केवल एक मिश्रण द्वारा प्राप्त होता है जिसके परिणामस्वरूप केवल उसके घटकों के गुणों का एकत्रीकरण होता है या ऐसे पदार्थ के उत्पादन की प्रक्रिया होती है;
- (च) ज्ञात उपकरणों की मात्र व्यवस्था या पुनर्व्यवस्था या प्रतिरूपण प्रत्येक ज्ञात तरीके से एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है;
- (छ) मशीन, उपकरण या अन्य उपकरण को अधिक कुशल बनाने या मौजूदा मशीन, उपकरण या अन्य उपकरण के सुधार या पुनर्स्थापन के लिए या निर्माण के सुधार या नियंत्रण के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान लागू परीक्षण की एक विधि या प्रक्रिया;
- (ज) कृषि या बागवानी की एक विधि;
- (झ) मनुष्यों के औषधीय, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक, रोगनिरोधी और अन्य उपचार के लिए कोई प्रक्रिया या जानवरों या पौधों को रोग से मुक्त करने या उनके आर्थिक मूल्य या उनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए उनके समान उपचार के लिए कोई प्रक्रिया।”

18. अधिनियम की उपरोक्त धारा 3 के तहत कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

19. बौद्धिक संपदा अधिकारों ("*ट्रिप्स समझौता*") के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता दिनांक 1 जनवरी, 1995 को अस्तित्व में आया और ट्रिप्स समझौते ("*पेटेंट योग्य विषयगत वस्तु*") के अनुच्छेद 27 में आवश्यक था कि किसी भी आविष्कार के लिए पेटेंट उपलब्ध होगा, चाहे वह उत्पाद हो या प्रक्रियाएं, "प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में", प्रौद्योगिकी के किसी भी विशिष्ट क्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध के बिना। अनुच्छेद 27 आगे आविष्कारों की कतिपय श्रेणियों का प्रावधान करता है जिनके वाणिज्यिक दोहन की रोकथाम लोक नीति या नैतिकता की रक्षा के लिए आवश्यक है, जिसमें मानव, पशु, पादप जीवन या

स्वास्थ्य की रक्षा करना या पर्यावरण के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह से बचना शामिल है, बशर्ते कि ऐसा बहिष्कार केवल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि दोहन विधि द्वारा निषिद्ध है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुच्छेद 27 सदस्यों को पेटेंट योग्यता से बाहर करने की सुविधा भी प्रदान करता है: “(क) मनुष्यों या जानवरों के उपचार के लिए नैदानिक, चिकित्सीय और शल्य चिकित्सा पद्धतियाँ; (ख) सूक्ष्म जीवों के अलावा अन्य पौधे एवं जानवर, और गैर-जैविक और सूक्ष्मजीव विज्ञानी प्रक्रियाओं के अलावा पौधों या जानवरों के उत्पादन के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रियाएं[...].”

20. भारत सरकार ने बाद में संसद में पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पेश किया, जिसने "कंप्यूटर प्रोग्राम" के संबंध में एक नई प्रविष्टि पेश की, जिसे पहली बार धारा 3 में जोड़ा गया था और इसे निम्नानुसार पढ़ा गया:

“(ट) एक गणितीय या व्यावसायिक विधि या एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम;”

[जोर दिया गया]

21. मूल पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 में "स्वतः" शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार करने के लिए राज्यसभा की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और समिति ने दिनांक 19 दिसंबर, 2001 को संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश की। धारा 3(ट) के संबंध में, उक्त संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट ने खंड 4 के तहत "कंप्यूटर

प्रोग्राम" के संयोजन में "स्वतः" शब्द को जोड़ने की सिफारिश की और "स्वतः" के अर्थ को निम्नानुसार समझाया:

“नए प्रस्तावित खंड (ट) में "स्वतः" शब्द जोड़ा गया है। यह परिवर्तन इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि कभी-कभी कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ अन्य चीजें शामिल हो सकती हैं, जो सहायक या उस पर विकसित हो सकती हैं। यहाँ उद्देश्य उन्हें पेटेंट के अनुदान हेतु अस्वीकार करने का नहीं है यदि वे आविष्कार हैं। हालांकि, इस तरह के कंप्यूटर कार्यक्रमों को पेटेंट देने का उद्देश्य नहीं है। यह संशोधन उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।”

राज्यसभा की संयुक्त संसदीय समिति ने भी अधिनियम की धारा 3(ट) में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जो नीचे दिया गया है:

“(ट) एक गणितीय या व्यावसायिक विधि या एक कंप्यूटर प्रोग्राम स्वतः या एल्गोरिदम;

22. पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 को दिनांक 20 दिसंबर, 1999 को राज्यसभा में पेश किया गया था, दिनांक 9 मई, 2002 को राज्यसभा द्वारा चर्चा की गई और पारित किया गया और इसके परिणामस्वरूप 14 मई, 2002 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। उक्त अधिनियम को 25 जून, 2002 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के रूप में लागू हुआ। इसमें धारा 3(ट) थी, जैसा कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था, जो इस प्रकार है:

“(ट) एक गणितीय या व्यावसायिक विधि या स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम;

[जोर दिया गया]

23. पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पर चर्चा के दौरान, धारा 3 में अन्य संशोधनों और पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट के योगदान पर चर्चा की गई। हालांकि, धारा 3(ट) पर कोई चर्चा नहीं हुई। राज्यसभा और लोकसभा में संसदीय बहसों से इसका प्रमाण मिलता है।

24. भारत के राष्ट्रपति ने पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004, प्रख्यापित किया जो 1 जनवरी, 2005 को लागू हुआ, पेटेंट अधिनियम, 1970 में अन्य संशोधनों के साथ, धारा 3(ट) को और संशोधित किया गया:

“3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, -

xx .. xx .. xx

(ख) खंड (ट) हेतु, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(ट) उद्योग में तकनीकी एप्लिकेशन या हार्डवेयर के साथ संयोजन के अलावा एक स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम;

(टक) एक गणितीय विधि या एक व्यावसायिक विधि या एल्गोरिदम;

[जोर दिया गया]

25. दिनांक 27 दिसंबर 2004, को पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति, शीर्षक - *कंप्यूटर प्रोग्राम की पेटेंट योग्यता के संबंध में "पेटेंट (तीसरे) संशोधन से संबंधित अध्यादेश पर कमलनाथ का बयान"*, पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 द्वारा धारा 3(ट) को स्पष्ट करने के कारणों को निम्नानुसार बताता है:

“8. सू.प्रौ. में, चलन यह है कि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ जोड़ा जाए या उसे अंतर्निहित किया जाए - जैसे कि कंप्यूटर या सेल फोन या कई अन्य गैजेट में किया जाता है। सॉफ्टवेयर के पास कोई पेटेंट सुरक्षा नहीं है (उपलब्ध सुरक्षा प्रतिलिप्यधिकार के माध्यम से होती है), लेकिन बदलते तकनीकी वातावरण ने पेटेंट प्रदान करना आवश्यक बना दिया है जब सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर के साथ उद्योग में तकनीकी एप्लिकेशन होती हैं। यह नैसकॉम की मांग रही है।

xx .. xx .. xx

11. यह अध्यादेश पिछले साल कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के साथ पेश किए गए विधेयक जैसा ही है। हमने ऐसे सॉफ्टवेयर को पेटेंट कराने के लिए शुरुआत की है जो हार्डवेयर में अंतर्निहित है [...]"

26. पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के तहत धारा 3(ट) को धारा 3(ट) और (टक) के रूप में प्रस्तावित विभाजन का विरोध किया गया था। धारा 3(ट) और 3(टक) को लागू करने के विरोध का कारण यह बताया गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट योग्यता से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। उक्त अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। इसके अलावा, पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2005 को एक प्रेस विज्ञप्ति जिसका शीर्षक - "पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2003 की तुलना में पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005 में शामिल महत्वपूर्ण बदलाव" में पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के तहत धारा 3(ट) में प्रस्तावित परिवर्तन की पुष्टि नहीं करने के कारण बताए गए हैं, जो इस प्रकार है:

“6. अध्यादेश द्वारा धारा 3(ट) और 3(टक) के रूप में पेश किए गए सॉफ्टवेयर संबंधी आविष्कारों के पेटेंटिंग से संबंधित स्पष्टीकरण को हटाने

का प्रस्ताव है। स्पष्टीकरण का इस आधार पर विरोध किया गया कि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को बढ़ावा मिल सकता है।"

27. हालाँकि पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों को संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, तथापि, संसद ने पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण ["2005 उद्देश्यों और कारणों का विवरण"] पारित कर दिया। जिसने कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों ["सीआरआई"] की पेटेंट योग्यता के लिए "तकनीकी योगदान" दृष्टिकोण का समर्थन किया। 2005 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण एक उद्देश्य को इस प्रकार बताता है:

"(iii) सॉफ्टवेयर से संबंधित आविष्कारों के पेटेंटिंग से संबंधित प्रावधानों को संशोधित और स्पष्ट करने हेतु जब उनका तकनीकी एप्लिकेशन उद्योग में या हार्डवेयर के साथ संयोजन में हो;"

28. राज्यसभा की वाणिज्य संबंधी विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने धारा 3(ट) के तहत "स्वतः" की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बाद में, उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता ["एआई"] द्वारा बारह (12) आविष्कार, लेखकत्व और स्वामित्व की सुविधा हेतु पेटेंट अधिनियम, 1970 और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 पर पुनर्विचार करने पर भी जोर दिया। "भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के पुनर्विलोकन पर एक सौ इकसठवीं रिपोर्ट" के प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिए गए हैं:

"कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं बौ.सं.अनु.

XX .. XX .. XX

8.6 समिति को सूचित किया गया कि एल्गोरिदम के उपयोग को एक वास्तविक परिणाम से जोड़कर पेटेंट कराने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के एआई दिशानिर्देशों के तहत, अमूर्त गणितीय तरीकों का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। हालांकि, यदि गणितीय पद्धति में तकनीकी साधनों या कंप्यूटर जैसे उपकरण का उपयोग शामिल है तो इसे पेटेंट कराया जाता है। इसके अलावा, गणितीय एप्लिकेशन और एल्गोरिदम को व्यावहारिक एप्लिकेशन से जोड़ने से यह एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जिसे अमेरिका में प्रचलित होने के रूप में पेटेंट कराया जा सकता है।

8.7 समिति विभाग को सिफारिश करती है कि गणितीय विधि या एल्गोरिदम को किसी वास्तविक तकनीकी उपकरण या व्यावहारिक एप्लिकेशन से जोड़ने का दृष्टिकोण भारत में भी उनके पेटेंट की सुविधा हेतु अपनाया जाना चाहिए जैसा कि यूरोपीय संघ और अमेरिका में किया जा रहा है। इसलिए, गणितीय विधि और एल्गोरिदम को इस तरह से एक प्रक्रिया में बदलने से उन्हें पेटेंट के रूप में संरक्षित करना आसान हो जाएगा।

[जोर दिया गया; सुस्पष्ट मूल]

29. प्रावधान का पूर्व उल्लिखित विधायी इतिहास, पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट, संसदीय बहस व अन्य। सीआरआई के लिए पेटेंट संरक्षण प्रदान करने के संबंध में बदलाव की ओर इशारा करते हैं। विधायी चर्चा विधि के सटीक एवं सुसंगत रूप से लागू किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु "स्वतः" शब्द की एक स्पष्ट परिभाषा को

अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर देती है। उक्त शब्द को यह स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था कि "इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम" गैर-पेटेंट योग्य हैं। संशोधन का उद्देश्य सीआरआई को पेटेंट प्रदान करने की अनुमति देना था जिसमें एक नया हार्डवेयर घटक शामिल होता है या कार्यक्रम से परे पूर्व कला(ओं) में तकनीकी योगदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किसी हार्डवेयर के संयोजन में किया जाता है या इसके परिणामस्वरूप कोई तकनीकी प्रभाव पड़ता है/कोई तकनीकी समस्या हल होती है, तो यह पेटेंट संरक्षण के लिए पात्र हो सकता है। यह संशोधन भारतीय पेटेंट न्यायशास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप लाता है।

30. हालांकि विधायी उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रहा है, "स्वतः" शब्द ने विधि के असंगत और असंतुलित अनुप्रयोग को जन्म दिया है।

सीआरआई की जांच हेतु पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

31. वर्ष 2013 में, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय ["सीजीपीडीटीएम"] ने सीआरआई के पेटेंट आवेदनों की जांच हेतु अपने पहले दिशानिर्देश पेश किए। दो शब्दों को परिभाषित किया गया था: तकनीकी प्रभाव और तकनीकी प्रगति। इन शब्दों का उपयोग अधिनियम की धारा 3(ट) के संबंध में दावा किए गए आविष्कार की पेटेंट पात्रता का आकलन करने के लिए किया जाता है। उक्त दिशा-निर्देशों में सीआरआई के सत्रह (17) स्पष्टीकरण दिए गए हैं और उन सभी को गैर-पेटेंट योग्य बताया गया है। एक

नए हार्डवेयर की आवश्यकता और उक्त दिशा-निर्देशों की अन्य विशेषताओं के कारण वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया गया, जिसमें सीआरआई की पेटेंट योग्यता की दिशा में एक रचनात्मक दृष्टिकोण पेश किया गया। ग्यारह (11) स्पष्टीकरण दिए गए थे, जिनमें से नौ (09) को पेटेंट योग्य और दो (02) को गैर-पेटेंट योग्य माना गया था। प्रकाशित होने के तुरंत बाद, उन्हें निलंबित कर दिया गया और बाद में, 2016 सीआरआई दिशा-निर्देश पेश किए गए। इन दिशा-निर्देशों ने धारा 3(ट) की अधिक कठिन व्याख्या के साथ वर्ष 2013 के सीआरआई दिशा-निर्देशों की ओर वापसी को प्रतिबिंबित किया और सीआरआई की जांच में स्पष्टता और निरंतरता की कमी के लिए उनकी आलोचना की गई, जिससे उद्योग में अस्पष्टता पैदा हुई और अधिनियम की धारा 3(ट) के तहत बहिष्करण को व्यापक बनाया गया। इन चिंताओं के उत्तर में, 2017 सीआरआई दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिनका उद्देश्य सीआरआई की परीक्षा प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता और निरंतरता प्रदान करना था। वास्तव में, उक्त दिशा-निर्देशों में एक सकारात्मक अवधि थी और अधिनियम की धारा 3(ट) के तहत सीआरआई की पेटेंट आवेदनों की पेटेंट योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में अधिक प्रगतिशील हैं। संशोधित 2017 सीआरआई दिशा-निर्देशों ने 2016 सीआरआई दिशा-निर्देशों में निर्धारित तीन-चरणीय परीक्षण और एक कंप्यूटर प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर) के संयोजन में एक नए हार्डवेयर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जब कोई विधि हार्डवेयर के साथ संयोजन में एक नए

कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए योग्यता का दावा करती है। 2017 सीआरआई दिशा-निर्देशों में फोकस फॉर्म और दावों से अधिक सार पर केंद्रित प्रतीत होता है।

32. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का फ़रीद अल्लानी (पूर्वोक्त) में उल्लेख किया गया और चर्चा की गई, जब न्यायालय ने आईपीएबी के निर्णय पर न्यायिक पुनर्विलोकन करते हुए अधिनियम की धारा 3(ट) के विधायी इतिहास का उल्लेख किया और अभिनिर्धारित किया कि इसके अलावा अधिनियम की धारा 3(ट) में शब्द "स्वतः" का अर्थ यह स्पष्ट करना था कि कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित वास्तविक आविष्कारों को पेटेंट देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने सीआरआई की पेटेंट योग्यता निर्धारित करने के लिए 'तकनीकी प्रभाव' और 'तकनीकी उन्नति' के पहलू पर गौर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उक्त निर्णय में सीआरआई से संबंधित निम्नलिखित दिशा-निर्देशों पर ध्यान दिया गया:

(i.) कंप्यूटर संबंधित आविष्कारों की परीक्षा हेतु प्रारूप दिशा-निर्देश, 2013

(ii.) कंप्यूटर संबंधित आविष्कारों की परीक्षा हेतु दिशा-निर्देश, 2016

(iii.) कंप्यूटर संबंधित आविष्कारों की परीक्षा हेतु संशोधित दिशा-निर्देश, 2017

33. सीजीपीडीटीएम ने दिनांक 26 नवंबर, 2019 को पेटेंट व्यवहार एवं प्रक्रिया की नियमावली ["2019 नियमावली"] भी जारी की है, जो 2017 सीआरआई दिशा-निर्देशों को भी संदर्भित करती है। 2017 सीआरआई दिशानिर्देश

और 2019 नियमावली इस प्रकार स्पष्ट करती है कि "इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम" गैर-पेटेंट योग्य हैं, लेकिन ऐसे आविष्कार जिनमें प्रोग्राम से परे तकनीकी योगदान या प्रभाव शामिल है, पेटेंट योग्य हो सकते हैं। 2019 नियमावली तकनीकी योगदान या प्रभाव का आकलन करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें यह मूल्यांकन करना शामिल है कि क्या आविष्कार एक तकनीकी समस्या का समाधान करता है, क्या यह पूर्व कला(ओं) पर तकनीकी लाभ प्रदान करता है, और क्या इसके परिणाम में एक तकनीकी प्रभाव होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सामान्य भौतिक परस्पर क्रिया से परे जाता है। 2019 नियमावली इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक आवेदन का प्रत्येक मामले के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा पेटेंट कार्यालय अपना निर्धारण करने में प्रत्येक आविष्कार के विशिष्ट तकनीकी विवरण एवं योगदान पर विचार करेगा।

34. सुश्री मणि के साथ-साथ श्री चौधरी का तर्क है कि *फेरिद अल्लानी* (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के दिशानिर्देशों और निर्णय के प्रकाशन के बावजूद, पेटेंट योग्यता पर भारतीय पेटेंट कार्यालय की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने डार्ट्स-आईपी प्लेटफॉर्म के डेटा का अवलम्ब लिया, जो बौद्धिक संपदा मामलों पर जानकारी प्रदान करता है, और अधिनियम की धारा 3(ट) के तहत नियंत्रक के निर्णयों आंकड़ों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। डेटा की प्रामाणिकता को

पेटेंट कार्यालय द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, और उस पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है। फिर भी, इस न्यायालय ने कहा है कि इस मुद्दे पर न्यायालयों (और पहले के आईपीएबी) के वैधानिक उद्देश्य और व्याख्या के बावजूद, पेटेंट कार्यालय अक्सर निर्धारण कारक के रूप में नए हार्डवेयर की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण निर्भरता रखता है। वर्तमान मामले में भी, जैसा कि इस निर्णय में बाद में चर्चा की गई है, गैर-पेटेंट आपत्ति उसी आपत्ति का संकेत देती है। इस प्रकार न्यायालय अधिनियम की धारा 3(ट) में "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" शब्द के अर्थ के संबंध में फेरिद अल्लानी (पूर्वोक्त) में व्यक्त विचारों पर बल देगा। पेटेंट आवेदनों पर स्थापित न्यायिक पूर्व निर्णय, अधिनियम की धारा 3(ट), सीआरआई से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों और अन्य सामग्रियों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए जो वैधानिक ढांचे को इंगित करें। यदि एक कंप्यूटर आधारित आविष्कार एक तकनीकी प्रभाव या योगदान प्रदान करता है, तो यह अभी भी पेटेंट योग्य हो सकता है। तकनीकी प्रभाव या योगदान को यह दिखाकर प्रदर्शित किया जा सकता है कि आविष्कार एक तकनीकी समस्या का समाधान करता है, तकनीकी प्रक्रिया को बढ़ाता है, या इसका कोई अन्य तकनीकी लाभ है। केवल यह तथ्य कि एक आविष्कार में गणितीय या कंप्यूटर-आधारित विधि शामिल होती है, इसे स्वचालित रूप से पेटेंट योग्य होने से बाहर नहीं करता है। आविष्कार अभी भी पेटेंट सुरक्षा पात्र होने के लिए तकनीकी प्रभाव या योगदान की आवश्यकता सहित पेटेंट योग्यता आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, कंप्यूटर प्रोग्राम पेटेंट में

विधि के दावे पेटेंट योग्य हो सकते हैं यदि इसमें एक तकनीकी प्रगति शामिल है और एक तकनीकी समस्या का तकनीकी समाधान प्रदान करता है और अंतर्निहित सॉफ्टवेयर पर एक बेहतर तकनीकी प्रभाव डालता है।

'तकनीकी योगदान' और 'तकनीकी प्रभाव' के मूल्यांकन हेतु दिशा सूचक का महत्व

35. धारा 3 उन विषयों की श्रेणियों को रेखांकित करती है जिन्हें पेटेंट विधि के तहत आविष्कार नहीं माना जाता है। इस प्रावधान के तहत, धारा 3 की उप-धारा (ट) में "[...] स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" वाक्यांश निहित है। नतीजतन, इस प्रकार के आविष्कार को उन आविष्कारों से अलग करना आवश्यक है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को शामिल या उपयोग करते हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई आविष्कार बहिष्कृत श्रेणियों में आता है, परीक्षकों को केवल दावों के रूप में ध्यान केंद्रित करने के बजाय आविष्कार के सार का विश्लेषण करना चाहिए। इसके लिए दावों के शाब्दिक शब्दों से परे अवलोकन की आवश्यकता है। सीजीपीडीटीएम द्वारा जारी 2017 सीआरआई दिशा निर्देश, सीआरआई की जांच से जुड़ी चुनौतियों और जटिलताओं को स्वीकार करते हैं। धारा 4.4.4 उक्त दिशानिर्देशों में रूप के बजाय मूल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उक्त दिशानिर्देश पेटेंट परीक्षकों को इसके विशिष्ट रूप या प्रस्तुति के बजाय आविष्कार के अंतर्निहित तकनीकी योगदान पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देते हैं। दावों के सार को समग्र रूप से एक समझना चाहिए। केंद्रीय विचार की पहचान करने के लिए यह दृष्टिकोण बहिष्कृत

आविष्कारों को पेटेंट के अनुदान से बचना सुनिश्चित करता है जिन्हें छिपाया जा सकता है। यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि तकनीकी प्रगति और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान प्रदान करने वाले आविष्कारों पर पेटेंट संरक्षण हेतु पर्याप्त रूप से विचार किया जाए, चाहे उनका दावा या प्रस्तुत करने का तरीका कुछ भी हो।

36. तकनीकी प्रभाव और योगदान की अवधारणा सीआरआई की पेटेंट योग्यता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में स्पष्टता का अभाव है। पेटेंट संरक्षण हेतु उनकी योग्यता निर्धारित करने हेतु सीआरआई में तकनीकी योगदान की पहचान और मूल्यांकन करना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी की तेजी से विकसित होने वाली प्रकृति का अर्थ है कि जो एक तकनीकी प्रभाव या योगदान का गठन करता है वह भविष्य में अप्रचलित हो सकता है। इसलिए, आविष्कारकों के अधिकारों की रक्षा आदेश और जनहित और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने हेतु इन अवधारणाओं को स्पष्ट आदेश की आवश्यकता है। सुनम्य और अनुकूल दृष्टिकोण वास्तविक तकनीकी नवाचारों हेतु पेटेंट सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और साथ ही अत्यधिक व्यापक पेटेंट के अनुदान को भी रोकेगा जो नवाचार और प्रतिस्पर्धा में बाधा डालते हैं। इस प्रकार, पेटेंट प्रणाली में अस्पष्टता और मनमानेपन से बचने के लिए कंप्यूटर कार्यक्रमों की पेटेंट योग्यता निर्धारित करने हेतु स्पष्ट और सुसंगत मानदंड और दिशानिर्देश स्थापित करना आवश्यक है। यह पेटेंट और गैर-पेटेंट

योग्य कंप्यूटर कार्यक्रमों के उदाहरण या स्पष्टीकरण प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। सीआरआई 2017 के दिशानिर्देशों में, पहले के दिशानिर्देशों से योग्य और अयोग्य पेटेंट का वर्णन करने वाले सभी उदाहरणों को हटा दिया गया है। वर्तमान में परीक्षकों के लिए सीआरआई के परीक्षण के क्षेत्र में मार्गदर्शन करने हेतु कोई दिशासूचक नहीं हैं।

37. यद्यपि प्रत्येक आवेदन का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना आवश्यक है, प्रत्येक दावा किए गए आविष्कार के अद्वितीय तथ्यों और तकनीकी पहलुओं पर विचार करते हुए, दिशानिर्देशों में पेटेंट-योग्य और गैर-योग्य दोनों आविष्कारों के उदाहरण प्रदान करना फायदेमंद होगा। यह विशिष्ट प्रकार के आविष्कारों की पेटेंट योग्यता के संबंध में आवेदकों और पेटेंट परीक्षकों को मूल्यवान मार्गदर्शन और स्पष्टता प्रदान करेगा। यह मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी है। यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ["ईपीओ"] के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय ["यूएसपीटीओ"] दोनों ने आविष्कारों की जांच हेतु अपने दिशानिर्देशों में पेटेंट-योग्य और गैर-योग्य आविष्कारों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट योग्यता से संबंधित काम किए गए उदाहरणों की विस्तृत सूची का हवाला देकर परीक्षकों को संकेतक प्रदान करने का कार्य भी करना चाहिए। ये अभ्यास संकेत परीक्षकों को योग्य मामलों के अनुरूप होने और अयोग्य मामलों को अलग करने में मदद करेंगे। अधिवक्तागण ने इस क्षेत्र में उद्यम करने हेतु इस न्यायालय से आग्रह किया है, हालांकि, न्यायालय ने

इससे दूर रहने का निर्णय लिया है और इसके अलावा, पेटेंट कार्यालय को इस पद्धति को करने का निर्देश देना उचित समझा है। उनके पास सीआरआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता है, और वे उभरती तकनीकों के भेदों और जटिलताओं पर विचार करने हेतु बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। न्यायालय को इस बात पर जोर देना चाहिए कि दिशासूचक बनाना परीक्षकों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा और अंततः परीक्षण में निरंतरता की ओर ले जाएगा। इस तरह के दिशासूचक विभिन्न परीक्षकों में परीक्षण प्रक्रिया में निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, जिससे एक अधिक अनुमानित और पारदर्शी पेटेंट प्रणाली बनेगी। यह विसंगतियों और अपील की संभावना को कम कर सकता है, साथ ही साथ सीआरआई की परीक्षण प्रक्रिया की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। आवेदक को तकनीकी प्रभाव और योगदान के मूल्यांकन हेतु विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने के मामले में स्पष्टता प्रदान की जाएगी, जिससे आवेदकों को पेटेंट कार्यालय की अपेक्षाओं की बेहतर समझ मिलेगी, जिससे उन्हें पेटेंट आवेदनों का प्रारूप तैयार करने की अनुमति मिलेगी जो उनके आविष्कारों के तकनीकी गुणागुणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित/चित्रित करते हैं। यह, बदले में, परीक्षण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार कर सकता है और योग्य आवेदनों के लिए उच्च सफलता दर की ओर ले जा सकता है और विषयवस्तु को कम कर सकता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सीआरआई का क्षेत्र सक्रिय है और नई प्रौद्योगिकियों उनके तकनीकी प्रभाव और योगदान को निर्धारित करने में

विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। न्यायिक मार्गदर्शन (न्यायिक मामलों द्वारा तय की गई) के आधार पर दिशासूचक बनाने और उनके समय समय पर अद्यतन से परीक्षकों को इन परिवर्तनों के लिए प्रभावी ढंग से अनुकूल होने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि पेटेंट प्रणाली प्रासंगिक और नवीन और आविष्कारशील प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने में सक्षम बनी रहे। इसके अलावा, यह ईपीओ, यूएसपीटीओ आदि जैसे कई क्षेत्राधिकारों में अपनाई गई कार्यप्रणाली के साथ संरेखण भी सुनिश्चित करेगा। वास्तव में, ईपीओ द्वारा निर्धारित दिशासूचक सीआरआई की पेटेंट योग्यता का आकलन करने हेतु एक सुव्यवस्थित और संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। इसलिए, भारतीय विधिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए, पेटेंट कार्यालय/सीजीपीडीटीएम को भी दिशासूचक बनाना चाहिए। इसलिए सीजीपीडीटीएम को इस मुद्दे की जांच करने और उस पर शीघ्रता से उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

विषयगत पेटेंट के संबंध में धारा 3(ट) के मुद्दों पर निष्कर्ष

38. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अब हम आक्षेपित आदेशों में अस्वीकृति के आधारों का विश्लेषण हेतु आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक सबसे पहले मानते हैं, "आविष्कार कुकीज़ के आधार पर दो स्तरीय प्रमाणीकरण करने की एक विधि/प्रणाली है। कुकीज़ वेबसाइटों द्वारा बनाई गई फ़ाइलें हैं और स्थानीय रूप से मेमोरी में संग्रहीत होती हैं जो निर्देशों के एक सेट के अलावा और कुछ नहीं

होती हैं।"; दूसरा, नियंत्रक ने पाया कि पेटेंट दावे "इच्छित कार्यात्मक सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु एक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग डिवाइस पर कंप्यूटर निष्पादन योग्य निर्देशों/एल्गोरिदम का कार्यान्वयन" हैं। और, इस प्रकार, वह उन्हें स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम मानता है; तीसरा, नियंत्रक को दावा किया गया आविष्कार आपत्तिजनक लगता है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम/विधि के रूप में है जो चरणों को संसाधित करने और एल्गोरिदम निष्पादित करने का दावा करता है।

39. न्यायालय का मानना है कि नियंत्रक पूरी तरह से इस बिंदु से चूक गया है और उसका दृष्टिकोण निराधार है। केवल यह निष्कर्ष कि दावे 1-28 कंप्यूटर पर लागू किए जाते हैं और एक सामान्य-उद्देश्य वाले कंप्यूटिंग उपकरण पर किए गए कंप्यूटर-निष्पादन योग्य निर्देश/एल्गोरिदम हैं, पेटेंट आवेदन को अस्वीकार करने के लिए सही दृष्टिकोण नहीं है। तथ्य यह है कि दावा किए गए आविष्कार में एक पारंपरिक कंप्यूटिंग उपकरण पर पूर्व-परिभाषित क्रमिक तरीके से निष्पादित एल्गोरिदम का एक समूह शामिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें तकनीकी प्रभाव या योगदान का अभाव है। यह संभव है कि आविष्कार एक तकनीकी समस्या का तकनीकी समाधान प्रदान करता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग केवल तकनीकी समाधान प्राप्त करने का एक साधन है। यदि विषयगत वस्तु को एक सामान्य-उद्देश्य वाले कंप्यूटर पर लागू किया जाता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक तकनीकी प्रभाव पड़ता है जो

कंप्यूटर प्रणाली की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में सुधार करता है, तो दावा किए गए आविष्कार को गैर-पेटेंट होने पर "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" के रूप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि एक गणितीय विधि या कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग तकनीकी माध्यमों से की जाने वाली तकनीकी प्रक्रिया में किया जा सकता है, जैसे कि हार्डवेयर युक्त कंप्यूटर या उपयुक्त रूप से उसके समरूप किया गया सामान्य-उद्देश्य वाला कंप्यूटर। नियंत्रक ने यह कहते हुए आवेदन को तुरंत अस्वीकार करने में गलती की है कि इसमें पूर्व-परिभाषित क्रमिक तरीके से निर्देशों को निष्पादित करने हेतु एल्गोरिदम का एक सेट शामिल है। अधिनियम की धारा 3(ट) के तहत "स्वतः" की व्याख्या को नियंत्रक द्वारा पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है।

40. विषयगत पेटेंट एक नेटवर्क लोकेशन के एक या अधिक सब-लोकेशन्स तक पहुँचने के लिए यूजर को प्रमाणित करने हेतु एक तकनीक प्रदान करता है, जिसमें दो अलग-अलग कुकीज़ का उपयोग शामिल है। पहली कुकी का उपयोग नेटवर्क लोकेशन पर प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है, और दूसरी सब-लोकेशन पर किया जाता है। दावा किए गए आविष्कार का तकनीकी प्रभाव/योगदान दो अलग-अलग कुकीज़ का उपयोग करके नेटवर्क लोकेशन के भीतर सब-लोकेशन्स तक अनधिकृत पहुँच को रोकना है और किसी अन्य यूजर से अवैध रूप से कुकीज़ प्राप्त करके नेटवर्क सब-लोकेशन्स तक पहुँच प्राप्त करने के दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता के प्रयासों को प्रभावी ढंग से विफल करना है।

तकनीकी प्रभाव नेटवर्क लोकेशन के सब-लोकेशन्स तक पहुँचने के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया की बेहतर सुरक्षा है। इस आविष्कार से पहले, नेटवर्क लोकेशन और सब-लोकेशन दोनों के लिए यूजर को प्रमाणित करने हेतु केवल एक कुकी का उपयोग करना एक सुरक्षा जोखिम पैदा करता था, क्योंकि दुर्भावनापूर्ण यूजर दूसरों से कुकीज़ चुरा सकते थे और अनधिकृत पहुँच प्राप्त कर सकते थे। दो अलग-अलग कुकीज़/दो-स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करके - एक नेटवर्क लोकेशन के लिए और दूसरा सब-लोकेशन के लिए - विषयगत पेटेंट एक अधिक सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है जो कुकी की चोरी हेतु असुरक्षित नहीं है। इस आविष्कार का तकनीकी योगदान नेटवर्क लोकेशन के भीतर एक सब-लोकेशन(लोकेशन्स) तक पहुँचने वाले क्लाइंट कंप्यूटर तक प्रमाणित पहुँच प्रदान करने के लिए दो अलग-अलग कुकीज़ का उपयोग करने की तकनीक है, जो फीड से प्राप्त सामग्री के साथ यूजर की बातचीत को सरल बनाता है। कुल मिलाकर, विषयगत पेटेंट नेटवर्क लोकेशन्स के सब-लोकेशन्स तक पहुँचने की सुरक्षा को बढ़ाता है और उपयोगकर्ता अनुभव को सुव्यवस्थित करता है।

41. सुनवाई के दौरान, पेटेंट कार्यालय ने यह तर्क देते हुए अपने निर्णय की प्रतिरक्षा की कि आविष्कार यूजर-इंटरफेस स्तर पर है और इसलिए गैर-पेटेंट योग्य है। यह समझ, जो आक्षेपित आदेश में अनुपस्थित है, भी कायम नहीं रखी जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विषयगत पेटेंट का तकनीकी प्रभाव

और योगदान यूजर-इंटरफेस स्तर से परे है। यह आविष्कार एक नेटवर्क लोकेशन के भीतर सब-लोकेशन्स के लिए यूजर्स को प्रमाणित करने हेतु कुकीज़ का उपयोग करने से जुड़े सुरक्षा जोखिम का एक तकनीकी समाधान प्रदान करता है। नेटवर्क लोकेशन में सब-लोकेशन(लोकेशन्स) तक पहुँचने वाले क्लाइंट कंप्यूटर तक प्रमाणित पहुँच प्रदान करने के लिए दो अलग-अलग कुकीज़ का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि भले ही दोनों कुकीज़ एक दुर्भावनापूर्ण यूजर द्वारा चोरी की गई हों, दुर्भावनापूर्ण यूजर नेटवर्क लोकेशन के भीतर अन्य सब-लोकेशन्स तक निर्बाध पहुँच प्राप्त नहीं कर सकता है। यह तकनीकी समाधान यूजर-इंटरफेस स्तर से परे जाता है और एक तकनीकी प्रभाव और योगदान प्रदान करता है, जो पेटेंट योग्य है। आविष्कार के तकनीकी पहलू, जैसे कि कुकीज़ का उपयोग और दो-कारक प्रमाणीकरण, कंप्यूटर नेटवर्क के कामकाज के लिए मौलिक हैं और यूजर-इंटरफेस तक सीमित नहीं हैं। ये पहलू नेटवर्क लोकेशन्स और उनके संबंधित सब-लोकेशन्स तक पहुंच की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय गठित करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण के लिए कई कुकीज़ का उपयोग एक तकनीकी समाधान है जो केवल यूजर इंटरफेस डिज़ाइन से परे है और इसमें जटिल नेटवर्क-स्तरीय संचार प्रोटोकॉल शामिल हैं। आविष्कार के तकनीकी पहलू यूजर-इंटरफेस के बजाय कंप्यूटर और नेटवर्क प्रौद्योगिकी के केंद्र के निकट हैं। इसके अलावा, यह तथ्य कि आविष्कार यूजर अनुभव में सुधार करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह यूजर-इंटरफेस तक ही

सीमित है। यूजर अनुभव निस्संदेह किसी भी प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और इस क्षेत्र में सुधार कंप्यूटर संरचना में विभिन्न स्तरों पर तकनीकी प्रगति का परिणाम है। विषयगत पेटेंट यूजर अनुभव को काफी बढ़ाता है; हालाँकि, यह सुधार नेटवर्क के भीतर एक गहरे स्तर पर प्रदान किए जाने वाले तकनीकी समाधान का परिणाम है। यह समाधान अंतर्निहित तकनीकी प्रगति के प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए नेटवर्क लोकेशन्स और सब-लोकेशन्स तक अधिक सुरक्षित और कुशल और सुव्यवस्थित पहुंच सक्षम बनाता है। इसलिए, दावा किए गए आविष्कार को इस आधार पर बाहर करना गलत होगा कि यह यूजर-इंटरफेस तक सीमित है। ऊपर चर्चा किए गए तकनीकी पहलू कंप्यूटर नेटवर्क के कामकाज के लिए मौलिक हैं और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी योगदान प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

42. निष्कर्षतः, नियंत्रक की अस्वीकृति अधिनियम की धारा 3(ट) की गलत व्याख्या और दावा किए गए आविष्कार के तकनीकी प्रभाव और योगदान की निगरानी से उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप गलत निर्वचन होता है कि विषयगत पेटेंट "स्वतः कंप्यूटर प्रोग्राम" का गठन करता है। सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग डिवाइस पर कंप्यूटर-निष्पादन योग्य निर्देशों और एल्गोरिदम का उपयोग करके आविष्कार के कार्यान्वयन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके, नियंत्रक आविष्कार द्वारा प्रदान की गई वास्तविक तकनीकी प्रकृति और प्रगति

पर विचार करने में विफल रहा है। दावा किया गया आविष्कार नेटवर्क स्थान के भीतर सब-लोकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण से संबंधित सुरक्षा समस्या हेतु एक नया और आविष्कारशील तकनीकी समाधान प्रदान करता है। यह न केवल दो स्तरीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है बल्कि उपयोगकर्ता अनुभव को भी बेहतर बनाता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।

दिशा-निर्देश

43. अधिनियम की धारा 3(ट) पर आक्षेपित आदेश के निष्कर्ष कायम नहीं हैं और आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया है। विषयगत पेटेंट पहला चरण पार कर लेता है और बहिष्कृत श्रेणियों में नहीं आता है। अगला कदम दावा किए गए आविष्कार की नवीनता और आविष्कारशील कदम (गैर-स्पष्टता) का आकलन करना है। हालाँकि, चूँकि आक्षेपित आदेश में अन्य आवश्यकताओं पर कोई चर्चा नहीं है, जिन्हें सुनवाई नोटिस में उठाया गया था, और आक्षेपित आदेश पूरी तरह से धारा 3(ट) के तहत गैर-पेटेंट योग्यता के आधार पर पारित किया गया है, न्यायालय आगे की कार्रवाई हेतु मामले का प्रतिपेण नियंत्रक को प्रेषित करने हेतु बाध्य है। अन्य उद्धृत पूर्व कलाओं को ध्यान में रखते हुए नवीनता की कमी और आविष्कारशील कदम के संबंध में आपत्तियों पर माइक्रोसॉफ्ट के पेटेंट आवेदन की पुनः जांच की जाएगी। इस तरह का निर्धारण करते समय, पेटेंट कार्यालय उपरोक्त टिप्पणियों, न्यायिक मिसालों, जिसमें

सीआरआई की जांच हेतु जारी किए गए दिशानिर्देश भी शामिल हैं, को ध्यान में रखेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पेटेंट की अवधि नवंबर 2023 में समाप्त होगी, यह निर्देशित किया जाता है कि विषय पेटेंट पर निर्णय माइक्रोसॉफ्ट को सुनवाई की अनुमति देने के बाद आज से एक (01) माह के भीतर लिया जाएगा।

44. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका को अनुमति प्रदान की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

पश्चलेख

45. भारतीय पेटेंट कार्यालय के लिए सीआरआई का मूल्यांकन करते समय अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें केवल एल्गोरिदम और कंप्यूटर-निष्पादन योग्य निर्देशों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आविष्कार द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी प्रभावों और योगदानों को ध्यान में रखा जाए। किसी आविष्कार को केवल इसलिए कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें एल्गोरिदम और कंप्यूटर-निष्पादन योग्य निर्देश शामिल हैं; बल्कि, इसका मूल्यांकन इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी प्रगति और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के आधार पर किया जाना चाहिए। पेटेंट संरक्षण हेतु आविष्कार की योग्यता का अधिक गहन और सटीक मूल्यांकन यह सुनिश्चित

करने के लिए किया जाना चाहिए कि योग्य आविष्कारों को वह सुरक्षा प्रदान की जाए जो वे अधिनियम के तहत योग्य हैं।

न्या. संजीव नरूला

15 मई, 2023

डी. नेगी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।